

5572

4169 राजस्थान सरकार
14/6/19 कार्मिक (क-3/जॉच) विभाग

PAS 1655
8/7/19

क्रमांक प-1(108) कार्मिक/क-3/जॉच/2017

जयपुर, दिनांक: 12 June 2019

3594 आदेश
4/2/19

डॉ सीमा सोनी, चिकित्सा अधिकारी, (दन्त), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर, सीकर के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ कर समसख्यक ज्ञापन दिनांक 13.11.2017 आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र प्रसारित किए गए।

डॉ सीमा सोनी, चिकित्सा अधिकारी, (दन्त) ने उन पर अधिरोपित आरोप के क्रम में दिनांक 04.01.2018 को अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया। लिखित कथन का प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेख के साथ परीक्षण करने के उपरान्त डॉ सीमा सोनी द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन असन्तोषजनक पाये जाने पर प्रकरण की विस्तृत जांच कराये जाने का निर्णय लिया जाकर इस विभाग के समसख्यक आदेश दिनांक 07.02.2018 द्वारा अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) विभागीय जाच विभाग, राज जयपुर को जाच अधिकारी नियुक्त किया गया।

जाच अधिकारी ने प्रकरण की विस्तृत जाच कर जाच प्रतिवेदन दिनांक 08.10.2018 को प्रस्तुत किया। जाच अधिकारी ने डॉ. सीमा सोनी, चिकित्सा अधिकारी पर अधिरोपित आरोप को आशिक प्रमाणित माना। प्रमाणित पाये आरोप के सम्बन्ध में इस विभाग के समसख्यक पत्र दिनांक 30.10.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन चाहा गया। डॉ सीमा सोनी न दिनांक 15.11.2018 को अपना अभ्योवेदन प्रस्तुत किया।

डॉ सीमा सोनी, चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन का प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेख के साथ परीक्षण करने पर डॉ सीमा सोनी पर अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाये गये हैं।

अतः माननीय राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में डॉ सीमा सोनी, चिकित्सा अधिकारी, (दन्त), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर, सीकर के विरुद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाये जाने पर डॉ सीमा सोनी की पाँच वार्षिक वेतनवृद्धियाँ सचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किए जाने के आदेश एतद्वारा प्रदान किये जाते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अजू राजपाल)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है -

- 01 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके बार कोड क्रमांक - एफ 19001530 दिनांक 20.05.2019 के सन्दर्भ में।
02. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
- 04 निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज जयपुर।
05. अनुभागाधिकारी, कार्मिक(क-1/ग्रो.प्र.) विभाग। (जन्म तिथि 21.08.1973)
06. अनुभागाधिकारी, कार्मिक (क-3/निरीक्षण) विभाग। 10(085)2017
07. डॉ. सीमा सोनी, चिकित्सा अधिकारी। (आदेश की एक प्रमाणित प्रति सलग्न है।)

द्वारा: शासन उप सचिव,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

08. रक्षित पत्रावली।

चिकित्सा के तालीम व रक्षण हेतु

पत्र (PH) को भूत ही लिखा गया है
उत्तानित है

DEL 19/6

50
DMHS

शासन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक - सीबी/सीएस/एस-572/2019/616

दिनांक 22/11/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 शासन सयुक्त सचिव, कार्मिक (क-3/जाच) विभाग, राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक प 1(108)का/क-3/जाच/2017 दिनांक 12.06.2019 के क्रम में।
- 2 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
- 3 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर।
- 4 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम को भेजकर लेख है कि कार्मिक विभाग का आदेश क्रमांक प 1(108)का/क-3/जाच/2017 दिनांक 12.06.2019 डॉ0 सीमा सोनी, तत्का चिअ (दन्त) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर, सीकर हाल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहपुरा, जयपुर को आप अपने स्तर से तामील करवा कर तामील रसीद 3 प्रतियों में भिजवाना सुनिश्चित करावे।
- 5 डॉ0 सीमा सोनी, तत्का चिअ (दन्त) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर, सीकर हाल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहपुरा, जयपुर द्वारा नियंत्रण अधिकारी।
- 6 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
- 7 अति0 प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित सस्थापन/डीपीसी अनुभाग, मुख्यालय।
- 8 प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईड पर आज ही अपलोड करावे।
- 9 आदेश/रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।